12840
10/10/2017

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़ें :–

1. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–4292/रा0, दिनांक–07.09.2015 एवं पत्रांक–4016(9)/रा0, दिनांक 01.08.2017
2. उपायुक्त, राँची का पत्रांक–202(i)/स्था0, दिनांक–26.08.2015 एवं पत्रांक–8(i)/रा0, दिनांक 28.01.2017
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–8808, दिनांक–07.10.2015, पत्रांक–8511, दिनांक 30.09.2016 एवं पत्रांक–3261, दिनांक–20.03.2017

श्रीमती ऐनी रिन्कु कुजूर, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला–गुमला), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चान्हों, राँची के विरूद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–4292/रा0, दिनांक–07.09.2015 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक–202(i)/स्था0, दिनांक–26.08.2015 द्वारा प्रपत्र–'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया।

प्रपत्र– 'क' में श्रीमती कुजूर के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 29.07.2014 को राँची जिला के चान्हों प्रखण्ड के सिलगाई गाँव में दो समुदायों के बीच ईद के नमाज स्थल को लेकर हिंसात्मक घटना घटी जिसमें ग्राम–सिलगाई के दशरथ उराँव नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी एवं कई ग्रामीण तथा पुलिस कर्मी/पुलिस पदाधिकारी घायल हो गए। श्रीमती कुजूर द्वारा उक्त घटीत घटना के मामले में गैर जिम्मेदाराना एवं घोर लापरवाही बरती गयी। श्रीमती कुजूर द्वारा गैरमजरूआ जमीन को ईदगाह के लिए बन्दोबस्ती करने का प्रस्ताव जिला को भेजा गया, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती की सख्त मनाही है। उक्त घटित मामले को विवादित एवं साम्प्रदायिक बनाने में इस बन्दोबस्ती प्रस्ताव की मुख्य भूमिका रही है। इस घटना क्रम में अंचल अधिकारी, चान्हों की भूमिका नियम संगत नहीं रही। श्रीमती कुजूर का उक्त कर्त्तव्य नियम विरूद्ध एवं घटित घटना के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक–8808, दिनांक–07.10.2015 द्वारा श्रीमती कुजूर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया। श्रीमती कुजूर के पत्रांक–389(ii), दिनांक 30.08.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती कुजूर द्वारा स्पष्टीकरण में कहा गया कि दिनांक 12.06.2014 को मुस्लिम ग्रामीण ग्राम–सिलगाई, थाना–चान्हों, जिला–राँची द्वारा ग्राम–सिलगाई, खाता सं0–243, प्लॉट नं0–3531, रकबा–01 एकड़ भूमि ईदगाह के नाम से बन्दोबस्ती करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त आवेदन के आलोक में नियमानुसार आपत्ति हेतु आम सूचना का प्रकाशन किया गया तथा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया। प्रकाशित आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। साथ ही, हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ।

इनके प्रभार ग्रहण के पूर्व तत्कालीन अंचल अधिकारी, चान्हों के कार्यालय पत्रांक–12(ii), दिनांक 15.01.2014 द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन को प्रश्नगत जमीन का सीमांकन करने का निदेश दिया गया था। बन्दोबस्ती आवेदन के जाँच प्रतिवेदन में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत भूमि को ईदगाह के लिए बन्दोबस्ती करने हेतु स्पष्ट अनुशंसा की गयी। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के विवादित होने अथवा धार्मिक कार्यों के उपयोग हेतु गैरमजरूआ भूमि के बन्दोबस्ती पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाये जाने संबंधी तथ्य को इनके संज्ञान में नहीं लया गया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अभिलेख में संलग्न अपेक्षित कागजातों के आलोक में बन्दोबस्ती का अभिलेख इनके स्तर से उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर राँची को अग्रतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर राँची द्वारा प्रश्नगत मामले में अग्रेतर कार्रवाई करते हुए पत्रांक–1268(ii), दिनांक 12.07.2014 के द्वारा निम्नलिखित त्रुटियों के निराकरण हेतु अभिलेख वापस किया गया–

1. धार्मिक प्रयोजन हेतु बन्दोबस्ती प्रस्ताव देने का क्या औचित्य है? जबकि सरकारी परिपत्रों के अनुसार इसका प्रावधान नहीं है।

2. क्या उक्त बन्दोबस्ती हेतु सरकारी/विभागीय निर्देश प्राप्त है।

दिनांक 17.07.2014 को त्रुटि निराकरण निम्नवत् करते हुए कि–

1. आम ग्रामीण जनता ग्राम सिलगाई के आवेदन पर यह बन्दोबस्ती प्रस्ताव भेजा गया है।

2. सरकारी/विभागीय निर्देश प्राप्त नहीं है।

अभिलेख उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर राँची को भेजा गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर राँची के स्तर से उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित भूमि की बन्दोबस्ती को नियम के प्रतिकूल होने की स्थिति में तत्काल अस्वीकृत करने की कार्रवाई अपेक्षित थी न कि त्रुटि का निराकरण।

श्रीमती कुजूर से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–8511, दिनांक 30.09.2016 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, राँची के पत्रांक–8(i)/रा0, दिनांक 28.01.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि श्रीमती कुजूर का अंचल अधिकारी के रूप में चान्हों अंचल में प्रथम पदस्थापन था, जो दिनांक 04.03.2014 से कार्यरत थीं। चान्हों अंचल के मौजा–सिलगाईं अन्तर्गत खाता सं0–243, प्लॉट सं0– 3531, रकबा–1.00 एकड़ गैरमजरूआ भूमि ईदगाह हेतु आवेदकों द्वारा दिनांक 02.06.2014 को आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जिसमें अंचल जमीन, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उक्त प्रस्ताव को श्रीमती कुजूर के द्वारा दिनांक 02.07.2014 को उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर राँची को अग्रसारित किया गया था। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी के रूप में मात्र चार माह के अन्दर उक्त विवादित प्रस्ताव को भेजा जाना आरोपी पदाधिकारी के अनुभव की कमी को दर्शाता है एवं आरोपी पदाधिकारी का उक्त कार्य किसी गलत मंशा से किया हुआ प्रतीत नहीं होता है।

उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य पर विभागीय पत्रांक–3261, दिनांक–20.03.2017 द्वारा सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–4016(9)/रा0, दिनांक 01.08.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, राँची द्वारा दिये गये मंतव्य पर सहमति व्यक्त की गयी।

श्रीमती कुजूर के विरूद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण, उपायुक्त, राँची का मंतव्य तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य की

समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्रीमती कुजूर के द्वारा लापरवाही बरती गई है लेकिन उन्होंने गलत मंशा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है।

अतः उपायुक्त, राँची एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य के आलोक में **श्रीमती ऐनी रिंकु कुजूर, झा0प्र0से0, (तृतीय बैच), तत्कालीन अँचल अधिकारी, चान्हों, राँची को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए आरोप से मुक्त किया जाता है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती ऐनी रिन्कु कुजूर, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

15.12.17

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–65/2015 का०–**12302**/राँची, दिनांक **15** दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/श्रीमती ऐनी रिन्कु कुजूर, झा0प्र0से0, /विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.12.17

सरकार के संयुक्त सचिव।